



Department of Justice

तत्काल रिलीज़ करने के लिए

_____, __, 2022

WWW.JUSTICE.GOV

CRT

(202) 514-2007

TTY (866) 544-5309

भर्ती-संबंधी भेदभाव के दावे का समाधान करने के लिए कैलिफोर्निया-स्थित IT रिक्रूटर के साथ न्याय विभाग का समझौता

वॉशिंगटन – न्याय विभाग ने आज यह घोषणा की कि उन्होंने SpringShine Consulting, Inc., कैलिफोर्निया में स्थित एक IT स्टाफिंग कंपनी, के साथ समाधान समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इन दावों का समाधान करता है कि SpringShine ने उस समय अमेरिकी कर्मचारियों के साथ उनकी नागरिकता स्थिति के आधार पर भेदभाव किया था जब उन्होंने केवल अस्थायी कार्य वीज़ा के लिए प्रायोजन की मांग कर रहे लोगों से रोज़गार के अवसरों के लिए आवेदन मांगे थे।

"जो नियोक्ता आवेदकों को उनकी नागरिकता या आप्रवासन स्थिति के आधार पर हतोत्साहित करते हैं, या केवल उन्हीं आवेदकों के लिए रोज़गार के कुछ अवसरों को सुरक्षित रखते हैं जिन्हें युनाइटेड स्टेट्स में काम करने के लिए प्रायोजन की आवश्यकता है, वे कानून का उल्लंघन करते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए," न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल क्रिस्टन क्लार्क ने कहा। "नागरिक अधिकार प्रभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को इस तरह के गैर-कानूनी भेदभाव से बचाया जाए।"

SpringShine द्वारा एक भर्ती वेबसाइट पर पोस्ट किए गए विज्ञापन के बारे में एक व्यक्ति द्वारा शिकायत करने के बाद विभाग ने जाँच शुरू की, जिसमें केवल ऐसे अनुभवी IT कंसल्टेंट्स से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिन्हें रोज़गार-आधारित अस्थायी कार्य वीज़ा के लिए प्रायोजन की आवश्यकता थी। वह विज्ञापन विशेष रूप से कंपनी के H-1B वीज़ा प्रायोजन की मांग करने वाले कर्मचारियों पर निर्देशित था, जिसमें इसका कोई संकेत नहीं था कि अन्य नागरिकता स्थितियों वाले कर्मचारियों पर भी रोज़गार के अवसर के लिए विचार किया जाएगा, जैसे अमेरिकी नागरिक, मूल अमेरिकी निवासी, वैध स्थायी निवासी, शरणार्थी या रेफ्यूजी। SpringShine ने दावा किया था कि विज्ञापन रोज़गार की पेशकश से जुड़ा नहीं था, बल्कि वह केवल उसके क्लाइंट्स की अनुमानित भावी श्रमिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योग्य कंसल्टेंट्स का समूह तैयार करने के लिए एक रिक्रूटिंग टूल था। हालांकि, अपनी जाँच के आधार पर विभाग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि (1) कंपनी ने पोस्टिंग का जवाब देने वाले आवेदकों में से एक को प्रायोजित करने की पेशकश की थी, (2) विज्ञापन में SpringShine द्वारा अपनी भर्ती-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए H-1B वीज़ा वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता देना दर्शाया गया है, और (3) पोस्टिंग ने कई लोगों को विचार के लिए आवेदन करने से गैर-कानूनी रूप से रोककर अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुँचाया था। आप्रवासन और राष्ट्रियता अधिनियम (Immigration and Nationality Act, INA) के तहत, आम तौर पर नियोक्ताओं को [भर्ती करने या नौकरी देने](#) में नागरिकता स्थिति के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं है।

समाधान समझौते की शर्तों के तहत, SpringShine युनाइटेड स्टेट्स को नागरिक दंड में \$17,000 का भुगतान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वह अपने रोज़गार विज्ञापनों और नौकरी देने की कार्यप्रणालियों में किसी विशेष नागरिकता या आप्रवासन स्थिति वाले आवेदकों के लिए किसी भी गैर-कानूनी प्राथमिकता को शामिल या लागू नहीं करती। इसके अतिरिक्त, SpringShine भर्ती करने और नौकरी देने में शामिल कर्मचारियों को INA के भेदभाव-विरोधी प्रावधान में प्रशिक्षित करेगी।

नागरिक अधिकार प्रभाग का अप्रवासी और कर्मचारी अधिकार अनुभाग (Immigrant and Employee Rights Section, IER) INA के भेदभाव-विरोधी प्रावधान को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है। यह कानून नौकरी देने, नौकरी से निकालने या शुल्क लेकर भर्ती करने या रेफरल में [नागरिकता स्थिति और राष्ट्रीय मूल](#); [अनुचित दस्तावेज़ी कार्यप्रणालियों](#); और [प्रतिशोध और डराने-धमकाने](#) के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

इस संक्षिप्त [वीडियो](#) के माध्यम से IER के कार्य और सहायता प्राप्त करने के तरीके के बारे में और जानें। [IER की वेबसाइट](#) पर इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें कि नियोक्ता नागरिकता स्थिति संबंधी भेदभाव से कैसे बच सकते हैं। वे आवेदक या कर्मचारी जो यह मानते हैं कि नौकरी देने, नौकरी से निकालने, भर्ती करने, या रोज़गार योग्यता सत्यापन प्रक्रिया (फ़ॉर्म I-9 और ई-वेरिफ़ाई) के दौरान उनकी नागरिकता, आप्रवासन स्थिति, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव किया गया था; या बदला लिया गया था, वे [आरोप दायर](#) कर सकते हैं। आम लोग भी 1-800-255-7688 (1-800-237-2515, सुनने में परेशानी वालों के लिए TTY) पर IER की कर्मचारी हॉटलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं; 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, सुनने में परेशानी वालों के लिए TTY) पर IER की नियोक्ता हॉटलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं; IER@usdoj.gov पर ईमेल कर सकते हैं; एक मुफ़्त [वेबिनार](#) के लिए साइन-अप कर सकते हैं; या IER की [अंग्रेज़ी](#) और [स्पेनिश](#) वेबसाइट्स देख सकते हैं। IER से अपडेट प्राप्त करने के लिए [GovDelivery](#) को सब्सक्राइब करें।

###